राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल –dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट – www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक : 12.01.2018

क्रमांक : एफ 55( )/CE/DLB/MJSA-II/2018/ 3200 – 3950

जिला कलक्टर्स

समस्त राजस्थान।

विषय :मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण को दिनांक 20.01.2018 से प्रारम्भ करने बाबत्।

उपरोक्त विषय के क्रम मे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण को राज्य के 162 शहरो मे दिनांक 15.01.2018 से प्रारम्भ करने हेतु पत्र दिनांक 27.12.2017 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे, परन्तु अब यह अभियान मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (ग्रामीण) के साथ दिनांक **20.01.2018** को प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध मे निर्देशित किया जाता है, कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण का शुभारम्भ कार्यक्रम (Launching Event) दिनांक **20.01.2018** को व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ आयोजित करना सुनिश्चित करें।

अभियान के द्वितीय चरण मे प्रमुखतः राजकीय भवनों मे रूफ टॉप रेन–वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने, प्राचीन बावडियो के संरक्षण एवं उनमे उपलब्ध पेय जल के वैकल्पिक उपयोग तथा वन विभाग के सहयोग से वृक्ष कुंज बनाये जाने के कार्य शामिल किये गये है। स्थानीय आवश्यकतानुसार उक्त गतिविधियों/कार्यक्रम को माननीय जिला प्रभारी मंत्री महोदय, प्रभारी सचिव, माननीय सांसद/विधायकगण व मेयर/सभापति/ अध्यक्ष/पार्षदगण/अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधिगण/प्रबुद्ध जन/समाजसेवी आदि की उपस्थिति मे आमजन को जोडते हुऐ शुभारम्भ करें। अभियान प्रारम्भ करने से पूर्व स्थानीय प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता आयोजित करें एवं कार्यक्रम के शुभारम्भ का व्यापक स्तर पर प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कवरेज करना भी सुनिश्चित करें। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियान में शामिल गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा (Time Line) में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

शुभकामनाओ सहित।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

दिनांक : 12/1/18
12.01.2018

क्रमांक : एफ 55( )/CE/DLB/MJSA-II/2018/ 3200–3950

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्र.सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।

3. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
4. माननीय प्रभारी मंत्री, समस्त जिले राजस्थान।
5. माननीय सांसद/विधायकगण, समस्त राजस्थान।
6. मेयर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगरीय निकाय।
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. एवं भू-जल विभाग, राज. जयपुर।
13. प्रभारी सचिव, समस्त जिले, राजस्थान।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
16. हेड ऑफ फोरेस्ट फोर्स (HoFF), अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
17. अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण), राजस्थान, जयपुर।
18. मुख्य वन संरक्षक (आयोजना) राजस्थान, जयपुर।
19. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
21. मुख्य अभियन्ता एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय), निदेशालय।
22. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
23. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
24. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
25. सुरक्षित पत्रावली।
26. Alwar / Ajmer [illegible] and [illegible] - areas to be taken up after election.

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता